अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 19(अ).—भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार सलाहकार समिति के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं-**

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) अभिप्रेत है ;

(ii) "प्रत्यायन अभिकरण" से अधिनियम, नियमों और भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2011 के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत अभिकरण, इसका गठन चाहे जैसा हो, अभिप्रेत है;

(iii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(iv) "आवेदक" से अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के अधीन प्रत्यायन प्रमाणपत्र चाहने के लिए प्रत्यायन अभिकरण को आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(v) "अपील प्राधिकरण" से अधिनियम के साथ पठित अपील नियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(vi) "निरीक्षण" से किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा की गई निरीक्षण की प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए किसी निरीक्षण अभिकरण या प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा, निरीक्षण, स्थल दौरा है । इसके अंतर्गत प्राधिकरण के निदेशों के अनुसरण में किसी प्रत्यायन अभिकरण द्वारा किया गया कोई निरीक्षण भी सम्मिलित है ;

(vii) " निरीक्षण रिपोर्ट" से प्रत्यायन अभिकरण द्वारा किसी भांडागार के निरीक्षण को अभिलिखित करते हुए की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है कि उसने प्रत्यायन प्रमाणपत्र देने के प्रयोजन के लिए इसका निरीक्षण किया था;

(viii) " प्रत्यायन प्रमाणपत्र" से इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्यायन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो अधिनियम, नियम और उन विनियमों के अनुसार किसी भांडागार के संबंध में प्रत्यायन अभिकरण द्वारा जारी किया जाएगा 1

(ix) "परीक्षक" से अधिनियम, नियम और विनियमों के अधीन निरीक्षण और परीक्षा करने के लिए किसी प्रत्यायन अभिकरण द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(x) "विनियम" से भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन), विनियम 2011 और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए ऐसे अन्य विनियम अभिप्रेत हैं ;

(x) " नियम" से भांडागार (विकास और विनियमन) अपील प्राधिकरण प्रक्रिया नियम, 2010 अभिप्रेत है ;

(xi) "भांडागार निर्देशिका" से ऐसी निर्देशिका अभिप्रेत है जिसके अनुसार प्रत्यायन अभिकरण भांडागारों का निरीक्षण करेंगे और जिसे प्राधिकरण द्वारा समय समय पर उपांतरित किया जा सकेगा ।

(2) वे शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम और नियमों में परिभाषित हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, अधिनियम या नियमों में हैं ।

अध्याय 2

प्रत्यायन प्रमाणपत्र का दिया जाना

3. प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिए जाने की प्रक्रिया -- (1) किसी भांडागार को अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकरण नहीं दिया जाएगा जब तक वह अधिनियम की धारा 3, नियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अलावा प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया है ।

(2) प्रत्यायन प्रमाणपत्र चाहने वाला आवेदक इसे प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत किसी प्रत्यायन अभिकरण से अभिप्राप्त करेगा और आवेदक प्रत्यायन अभिकरण को निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा --

(i) भांडागार की पर्याप्त सकारात्मक कुल मूल्य सुनिश्चित करने का दस्तावेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणपत्र या व्यक्तिगत भांडागार या इसके संरक्षण की किसी अनुसूचीगत बैंक से उधार पात्रता पर्याप्त होगा ;

(ii) भांडागार चलाने के प्रयोजनों के लिए सुसंगत भांडागार के उपयोग हेतु भांडागारपाल के पास स्वामित्व या अधिकार निहित करने वाला रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख का सबूत

(iii) सुसंगत भांडागार के परिसर के भीतर भांडागार का कारबार चलाने के लिए नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र या भांडागार अनुज्ञप्ति

(iv) ऐसे माल जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण की मांग की जा रही है ;

(v) भांडागार में प्रयुक्त प्रशिक्षित ग्रेडर, मापक और प्रतिदर्शित्रों की सूची ;

(vi) किसी विनिर्दिष्ट मार्ग के लिए भांडागार की भंडारण संख्या के बारे में सभी दस्तावेज, अभिलेख और सूचना सहित विवरण जिसके अंतर्गत कीटनाशी या जीवनाशी प्रबंध, उतराई - चढ़ाई, नमूना लेना, श्रेणीकरण करना, सुरक्षा, आग बुझाने की व्यवस्था;

(vii) ऐसे उपकरणों की सूची जो भांडागार में भंडारित किए जाने वाले मालों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए आवश्यक हैं ;

(viii) आग या बाढ़ या चोरी या सेंधमारी या दंगा आदि और भंडारित मालों के लिए बीमा नीतियां

(iX) भंडारित मालों के लिए उपयोग में लाइ जाने वाली बीमा नीतियां ;

(X) भांडागार के संबंध में संपरीक्षित विवरण, यदि कोई हो ;

(Xi) ऐसे व्यक्तियों की उनकी अर्हताओं और अनुभव के साथ सूची जो संबद्ध भांडागार के प्रबंधन के भारसाधक हैं ;

(xii) ऐसे मालों के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए तरीके का विवरण जो कृषि उत्पाद विपणन समिति, स्थल या भावी विनिमय या समाचार पत्रों के अनुसार हो ;

(xiii) श्रेणीकरण, परीक्षण प्रयोगशालाओं से संबद्ध सहायक, यदि कोई हैं, का विवरण ; और

(xiv) कोई अन्य दस्तावेज और सूचना जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित हैं या प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित है या भांडागार निदेशिका में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. किसी प्रत्यायन अभिकरण द्वारा किसी भांडागार को तभी प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिया जाएगा जब वह निम्नलिखित पूरा करता हो —

(i) भारतीय मानक ब्यूरो/केंद्रीय भांडागार निगम/ भारतीय खाद्य निगम विनिर्देशों के अनुसार भांडागार का मानक निर्माण ;

(ii) दस्तावेजी साक्षय के साथ पर्याप्त निश्चित कुल मूल्य ;

(iii) भांडागार निर्देशिका में यथाविनिर्दिष्ट भंडारण और उतराई - चढ़ाई अपेक्षा ;

(iv) प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता ;

(v) भांडागार और भांडागारों में भंडारित यां भंडार किए जाने वाले मालों की बीमा नीतियां ;

(vi) भांडागारों में अभिलेख का उचित अनुरक्षण और समयबद्ध उसकी सूचना ; और

(vii) अधिनियम और नियमों के अधीन भांडागार कारबार की संचालन के लिए कोई अन्य अपेक्षा

4. प्रत्यायन अभिकरण आवेदक को प्रत्यायन प्रमाणपत्र बनाएगा और उपलब्ध कराएगा, यदि वह ठीक पाता है । यदि प्रत्यायन अभिकरण भांडागार के लिए प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए इसे उचित नहीं पाता है तो वह स्पष्टतया अपने निरीक्षण रिपोर्ट में इसके कारणो का उल्लेख करेगा ।

अध्याय 3

प्रत्यायन अभिकरण द्वारा निरीक्षण

4. **प्रत्यायन मानकों की विरचना** -- (1) प्राधिकरण भांडागार प्रत्यायन मानक और प्रत्यायन की प्रक्रिया विहित कर सकेगा । विहित प्रत्यायन मानक और प्रक्रिया भांडागर निर्देशिका के भाग होंगे जो प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) सभी प्रत्यायन अभिकरण भांडागार विनिर्दिष्ट प्रत्यायन मानक और भांडागार विनिर्दिष्ट प्रत्यायन प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य होंगे जो प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए और प्रशिक्षण भी कराएंगे, यदि उसके द्वारा अपेक्षित हों ।

5. **प्रत्यायन अभिकरण द्वारा भांडागारों का निरीक्षण** -- (1) प्रत्यायन प्रमाणपत्र देने के पहले प्रत्यायन अभिकरण एक या अधिक व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भांडागार का निरीक्षण करने हेतु परीक्षक नियुक्त करेगा कि विनियम 3 के उपविनियम (3) के अधीन विहित सभी शर्तें पूरी की गई हैं ।

(2) भांडागार के प्रत्यायन की फीस का वहन सुसंगत भांडागारपाल द्वारा किया जाएगा ।

6. **निरीक्षण की प्रक्रिया** -- (1) प्रत्यायन अभिकरण भांडागार का आरंभिक निरीक्षण करने के पूर्व एक सप्ताह की नोटिस देगा ।

(2) उप विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,

जहाँ प्रत्यायन अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निक्षेपकर्ताओं के हित या लोकहित में ऐसी कोई नोटिस नहीं दी जानी चाहिए वहाँ वह ऐसी नोटिस के बिना भांडागार का निरीक्षण कर सकेगा ।

(3) यदि कोई शर्त पूरी नहीं है तो प्रत्यायन अभिकरण भांडागारपाल को ऐसी नोटिस की प्राप्त की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इसे सुधारने के लिए भांडागारपाल को नोटिस देगा ।

(4) उप विनियम (3) में उपबंधित अवधि की समाप्ति पर, उप विनियम (3) की शर्तों के पालन के सत्यापन के लिए प्रत्यायन अभिकरण के निदेश पर परीक्षक द्वारा एक अन्य निरीक्षण किया जाएगा ।

(5) इन विनियमों के अधीन विहित सभी शर्तों और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी अन्य शर्त के पूरे समाधान पर, प्रत्यायन अभिकरण ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट मालों के लिए भांडागारपाल को अनुसूची 'क' में यथाविहित प्ररूप और रीति में प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

7. **प्रत्यायन के पश्चात् भांडागार का निरीक्षण** -- (1) प्रत्येक प्रत्यायन अभिकरण प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान करने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष में एक बार रजिस्ट्रीकृत भांडागार की शर्त, लेखाबही, भांडागारपाल के अन्य अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति परीक्षक के रूप में कर सकेगा ।

(2) उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण का प्रयोजन निम्नलिखित होगा, अर्थात् :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि अभिलेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित रीति से किया जा रहा है ;

(ख) कि अधिनियम, नियमों और विनिययों के उपबंधों का पालन हो रहा है ।

8. प्रत्यायन अभिकरण के प्रति भांडागारपाल की बाध्यताएं -- (1) भांडागारपाल और उसके कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्यायन अभिकरण (या उसके द्वारा नियुक्त किसी परीक्षक) को अपनी अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे के ऐसी बही, लेखा, अभिलेख, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को पेश करेगा और ऐसी अवधि के भीतर भांडागार से संबंधित विवरण और सूचना प्रस्तुत करेगा जैसा परीक्षक अपेक्षा करे ।

(2) भांडागारपाल प्रत्यायन अभिकरण (या उसके द्वारा नियुक्त किसी परीक्षक)को ऐसे भांडागारपाल या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित परिसर का कम से कम दिन के दौरान अभिगम प्रदान करने की अनुज्ञा देगा और भांडागारपाल या उसकी ओर से ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे के किसी बही, अभिलेख, रिपोर्ट, दस्तावेज की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा और दस्तावेजों और अन्य सामग्री की प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा जो प्रत्यायन अधिकरण (या उसके द्वारा नियुक्त किसी परीक्षक) की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हों ।

(3) प्रत्येक भांडागारपाल या उसके कर्मचारियों का प्रत्यायन अभिकरण , उसके कार्मिक या उसके द्वारा नियुक्त किसी परीक्षक को ऐसे निरीक्षण के संबंध में सभी सहायता प्रदान करने का कर्तव्य होगा जो भांडागारपाल से युक्तियुक्त रूप से प्रदान करने की प्रत्याशा है ।

9. प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्राधिकरण को मासवार रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना -- प्रत्यायन अभिकरण प्रत्यायित भांडागार और उसके द्वारा किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे के बारे में प्राधिकरण को मासवार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 4

प्रत्यायन प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण

10. प्रत्यायन प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण की प्रक्रिया -- (1) यदि प्रत्यायन अभिकरण सावधिक निरीक्षण करने पर यह अवधारित करता है कि भांडागार या भांडागारपाल प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षाओं का पालन करने में व्यतिक्रम कर रहा है या अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किन्हीं उपबंधों का पालन नहीं कर रहा है तो वह इसे अपनी सावधिक निरीक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित करेगा और यह अवधारित कर सकेगा कि यथास्थिति, भांडागारपाल या भांडागार द्वारा व्यतिक्रमों की प्रकृति प्रत्यायन प्रमाणपत्र जो सुसंगत भांडागार की बाबत पहले प्रदान की गई थी, निलंबित या रद्द की जाए ।

इसकी संसूचना सुसंगत भांडागारपाल को लिखित रूप में यथासंभव शीघ्र किंतु ऐसे निरीक्षण की तारीख से दस कार्य दिवस के अपश्चात् सावधिक निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दी जाएगी ।

(2) प्रत्यायन अभिकरण अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ किसी भांडागार की बाबत प्रत्यायन प्रमाणपत्र को निलंबित करने या रद्द करने के अपने विनिश्चय के प्रति यथासंभव शीघ्र किंतु ऐसे विनिश्चय की तारीख से पांच कार्य दिवस के अपश्चात् प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

(3) यदि प्राधिकरण अधिनियम के साथ पठित इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किसी भांडागार के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करता है तो ऐसे भांडागार की

बाबत प्रत्यायन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राधिकरण के ऐसे आदेश की तारीख से यथास्थिति, स्वतः निलंबित या रद्द हो जाएगा ।

(4) यदि प्राधिकरण भांडागार (विकास और विनियम) भांडागार का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 के अनुसार भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के अपने आदेश को वापिस लेता है तो रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को प्रतिसंहरित करने के लिए ऐसे भांडागार की बाबत प्रत्यायन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्यायन प्रमाणपत्र पुनःस्थापित हो जाएगा जब तक प्राधिकरण विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न देता हो कि ऐसे भांडागार की बाबत प्रत्यायन अभिकरण द्वारा नया प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी किया जाए ।

11. प्रत्यायन प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का प्रभाव -- एक बार जब प्रत्यायन प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जाता है तो प्राधिकरण अवधारित करेगा :

(i) सुसंगत भांडागार का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द किया जाए ;

(ii) दूसरे प्रत्यायन अभिकरण को भांडागार का निरीक्षण करने का आदेश देगा और निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर यह अवधारित करेगा कि क्या अधिनियम के अधीन सुसंगत भांडागार का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द किया जाए ;

परंतु यह भांडागारपाल को परक्राम्य भांडागार रसीदों के धारकों को अपनी बाध्यताओं को पूरा करने से निवारित नहीं करेगा जो ऐसे भांडागार के संबंध में जारी की गई है ।

अध्याय 5

प्रत्यायन प्रमाणपत्र का नवीकरण

12. प्रत्यायन प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया -- भांडागारपाल को इन विनियमों में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यायन प्रमाणपत्र के आरंभिक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नए सिरे से प्रत्यायन प्रमाणपत्र की अपेक्षा होगी ।

अध्याय 6

फीस

13. फीस का संदाय -- प्रत्यायन प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने या नवीकरण के लिए पात्र प्रत्येक भांडागारपाल प्रत्यायन अभिकरण को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर फीस संदत्त करेगा जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।